कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल–नरेन्द्रनगर

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञप्ति।

विज्ञापन संख्या–01/अति0 शि0/2016–17 दिनांक 12 अप्रैल, 2016

शासनादेश संख्या–251/xxiv–नवसृजित/2015–16(02)/14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या– 307/ xxiv – नवसृजित / 2015–07 (02)/14 दिनांक 8 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या 389/ xxiv –15–07 नवसृजित /2015–07 (2) /14 दिनांक 27 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या–565/ xxiv –नवसृजित 15–07(2)/14 दिनांक 4 अगस्त 2015 तथा शासनादेश संख्या–240/ xxiv –नवसृजित 16–07(2)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुसभाग–नवसृजित दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्र में जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण निम्नांकित पदों पर छात्रहित/जनहित में नितान्त अस्थाई व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है:–

(अ) स0अ0एल0टी0 संवर्ग

क्र.सं.	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1 एल0टी0 संवर्ग	सामान्य शाखा	1 हिन्दी, 2 अंग्रेजी, 3 गणित 4 विज्ञान 5 कला,6व्यायाम 7 सामान्य 8 गृहविज्ञान
	महिला शाखा	1 हिन्दी, 2अंग्रेजी 3 विज्ञान 4 गणित 5 सामान्य 6 कला 7 व्यायाम 8 गृहविज्ञान

(ब) प्रवक्ता संवर्ग

क्र.सं.	शाखा	विषय जिनमें विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किया जाना है।
1 प्रवक्ता संवर्ग	महिला	1 हिन्दी,2 गणित ,3 जीवविज्ञान,4 अंग्रेजी,5 अर्थशास्त्र 6,इतिहास,7 भूगोल,8 राजविज्ञान, 9 गृह विज्ञान,10 रसायनविज्ञान 11 भौतिक विज्ञान
	पुरूष	1 भूगोल,2 अंग्रेजी,3रसायनविज्ञान, 4 अर्थशास्त्र 5,समाजशास्त्र 6,इतिहास,7 गणित,8 भौतिकविज्ञान,9 जीवविज्ञान10 ,संस्कृत ,11 हिन्दी,12 राजविज्ञान,

1 सम्बन्धित जनपद में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी जो सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम संशोधित –2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली–2008 में निहित प्राविधानानुसार शैक्षिक/ प्रशिक्षण अर्हताधारी हो, से स0अ0एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

2 आयु सीमा– अभ्यर्थी की आयु सीमा 01–07–2015 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

3 आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजना कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

4 आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित सेवा नियमावली एवं संबंधित शासनादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइड **Schooleducation.uk.gov.in**–पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

5 इच्छुक/ अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से **निवासरत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय** को प्रेषित करेंगें।

6 जनपद स्तर पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयन जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा।

7 विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मैरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विद्यालय में स्थानान्तरण/बाल्य देखभाल अथवा दीर्घावकाश से वापस आने तक अथवा 89 दिन जो भी पहले हो, तक अनुबन्धित किया जायेगा।

8 महिला अभ्यर्थी सामान्य शाखा एवं महिला शाखा (दोनो शाखाओं) हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकती है। किन्तु पुरूष अभ्यर्थी मात्र सामान्य शाखा में ही आवेदन करने के पात्र होंगें।। महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विषयों हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों हेतु भी पृथक–पृथक आवेदन किया जाना होगा।

9 अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत हेतु ही आवेदन किया जायेगा।

10 नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।

11 विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय में योगदान देने से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।

12 उक्त व्यस्था नितान्त कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नही होगा।

13 अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तलिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नों सहित) 9X 12 के लिफाफे में रखकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगें। आवेदन पत्र के लिफाफे के **ऊपर विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र का विज्ञापन संख्या........................एवं आवेदित पद का नाम.....** विषय..........................शाखा......................(महिला एवं सामान्य) अवश्य अंकित की जाये। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के सायं 5:00 बजे तक है। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय बैवसाइड पर उलब्ध है। **Schooleducation.uk.gov.in**–पर है।

(डी0सी0गौड़)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
टिहरी गढ़वाल–नरेन्द्रनगर